Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2012
(PHALGUNA 5, 1933 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th February, 2012

No. 3—HLA of 2012/6.—The Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 3—HLA of 2012

BHAGAT PHOOL SINGH MAHILA VISHWAVIDYALAYA KHANPUR KALAN (AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Act, 2012. Short title.

2. For clause (j) of section 2 of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Act, 2006 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be substituted, namely :— Amendment of section 2 of Haryana Act 31 of 2006.

'(j) "University teacher" means Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other person as may be appointed for

imparting instruction or conducting research in the University or in any college or institution maintained by the University and is designated as teacher by the Ordinances.'.

Amendment of section 6 of Haryana Act 31 of 2006.

3. For clause (f) of section 6 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely :-

"(f) to institute principalship, professorship, associate professorship, assistant professorship and to create other posts of any description required by the university and to appoint persons to such posts;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has revised the pay scales of Universities and Colleges teachers on the 6th pay commission recommendations of Ministry of Human Resource Development, Government of India after taking into consideration the recommendations made by the University Grants Commission subsequently. Along with pay scale revision, the State Government, taking a considered view on other ancillary issues contained in the aforementioned recommendations, issued a comprehensive scheme for Universities and Colleges.

Further, it has been decided to re designate University teachers namely Lecturers and Readers to Assistant Professors and Associate Professors.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 24th February, 2012

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2012 का विधेयक संख्या 3 — एच० एल० ए०

भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (संशोधन) विधेयक, 2012

भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां
अधिनियम, 2006, को आगे संशोधित
करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां (संशोधन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है।

2006 के *हरियाणा* अधिनियम 31 की धारा 2 का संशोधन।

2. भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां अधिनियम, 2006 (जिसे, इसमे, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ञ) *"विश्वविद्यालय अध्यापक"* से अभिप्राय है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा प्रदान करने या शोध संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित है।'।

2006 के *हरियाणा* अधिनियम 31 की धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य-पद, आचार्य-पद, सह-आचार्य-पद, सहायक आचार्य-पद संस्थापित करना और किसी प्रकार के अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमान भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की छठे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार एवं तदोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए सशोधित कर दिए गए हैं। वेतनमान संशोधन के साथ उपरोक्त वर्णित सिफारिशों मे शामिल अन्य सहायक मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालयो तथा महाविद्यालयों हेतु एक व्यापक स्कीम जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकों का पदनाम प्रवक्ता से तथा प्रवाचक से सहायक आचार्य तथा सह आचार्य में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

अत बिल प्रस्तुत है .

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़
24 फरवरी, 2012

सुमित कुमार,
सचिव